न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	06.10.2015	17.05.2024

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री भंवर लाल जी विक्रेता मैसर्स भंवर लाल कैलाश चन्द शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 7 शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज.
2—मैसर्स भंवर लाल कैलाश चन्द शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक राज.
3—श्री कन्हैया लाल शर्मा पुत्र श्री बाबू लाल शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी गणगौरी बाजार निवाई निवासी पंचायत के पास, चैनपुरा तह. निवाई जिला टोंक राज.
4—मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी गणगौरी बाजार निवाई
5—श्री राजीव अग्नि होत्री जनरल मैनेजर (वर्क्स) मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर लेक जयपुर मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर लेक जयपुर राज.।
6—श्री राम खिलाडी मैनेजर (कामर्शिलय) मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर लेक जयपुर मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर लेक जयपुर राज.।
7—मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर लेक जयपुर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—श्री प्रमोद शर्मा एड. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 व 4
3—श्री बसंत कुमार जैन एड. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 ता 7

:—निर्णय—: **दिनांक 17.05.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.05.2015 को समय 02:02 पीएम पर मैसर्स भंवर लाल कैलाश चन्द शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री भंवर लाल अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. / मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **आयोडाइज्ड नमक भारत साल्ट पॉली पैक (Iodized Salt Bharat Salt poly pack)** के एक–एक किलोग्राम के 18 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री बुद्धिप्रकाश जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **आयोडाइज्ड नमक भारत साल्ट पॉली पैक (Iodized Salt Bharat Salt poly pack)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, एक–एक किलोग्राम के 4 नग खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **आयोडाइज्ड नमक भारत साल्ट पॉली पैक (Iodized Salt Bharat Salt poly pack)** एक–एक किलोग्राम के 4 नग में से एक–एक पैक वाले नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–987 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–987 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री भंवर लाल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी गणगौरी बाजार निवाई का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स व्यास ट्रेडिंग कम्पनी से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड सांभर लेक जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/2172 दिनांक 03.07.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./332/एफ.एस.एस.ए./2015/349 दिनांक 25.06.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **आयोडाइज्ड नमक भारत साल्ट पॉली पैक (Iodized Salt Bharat**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Salt poly pack) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 उनके अभिभाषक द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। शेष अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 की ओर से श्री प्रमोद शर्मा एड. व अप्रार्थी सं. 5 ता 7 की ओर से श्री बसंत कुमार जैन एड. उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है तथा यह मानव उपयोग के लिए किसी भी तरह हानिकारक नहीं है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारियां निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **आयोडाइज्ड नमक भारत साल्ट पॉली पैक (Iodized Salt Bharat Salt poly pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **आयोडाइज्ड नमक भारत साल्ट पॉली पैक (Iodized Salt Bharat Salt poly pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से समस्त अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 17.05.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को निर्णय के बारे में सूचित करने हेतु पत्र लिखा जावें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(सुरेश चौधरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक